समक्ष विकास बहल**,** जे**.**

अखिल बलदा और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य

सी**.** आर**.** एम**.-**एम**.** संख्या **28831/2018**

07 अक्टूबर, 2021

दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973-**खंड **482-**वैध समझौते के आधार पर दोषसिद्धि सहित प्राथमिकी और बाद की कार्यवाही को रद्द करना**-**अनुज्ञेय।

अभिनिर्धारित किया कि स्थापित कानून के अनुसार, इस न्यायालय के पास एक वैध समझौते के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि के फैसले को रद्द करने की शक्ति है।

(पैरा 16)

R.K.Choudhary, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।
अनुपम बंसल, एडिशनल।लोक अभियोजक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के लिए।
संदीप सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादी नं.3 के लिए.

विकास बहल**,** जे**. (**मौखिक**)**

(1) यह याचिका Cr.P.C की खंड 482 के तहत दायर की गई है जिसमे प्राथमिकी No.76 दिनांक 28.02.2016, खंड 323, 452, 506, 34 भा.दं.सं. सी., पुलिस थाना सेक्टर 39, यू. टी. चंडीगढ़ को रद्द करने के लिए प्राथना की है, साथ ही साथ वहां से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के फैसले दिनांक 14.12.2017 (अनुलग्नक पी-2) को समझौते दिनांक 07.05.2018 (अनुलग्नक पी-3) के आधार पर रद्द करने के लिए भी प्राथना की है

(2) दिनांक 30.01.2019 पर, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः-

"श्री गगनदीप एस. वासु, APP केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, राज्य की ओर से उपस्थित हुए आज के दिन उसे याचिका की तीन प्रतियां प्रदान की जाएं।श्री संदीप सैनी, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित हुए और नोटिस सवीकार किया।

यह याचिका समझौते (अनुलग्नक पी-3) के आधार पर प्राथमिकी आर. No.76 दिनांकित 28.3.2016 को रद्द करने के लिए दायर की गई है।

पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने बयान दर्ज कराने के लिए 27.2.2019 पर निचली अदालत/इलाखा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हों।पक्षकारों के बयान दर्ज करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय/इलाखा मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख से पहले समझौते की वास्तविकता के संबंध में इस न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजेगा।

23.5.2019 के लिए स्थगित किया गया।"

(3) उक्त आदेश के अनुसरण में, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा दिनांकित 27.02.2019 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"आदरणीय साहब,

उनके लॉर्डशिप द्वारा पारित उक्त आदेश के संदर्भ में, अखिल बलदा और अनुज कुमार (आरोपी) और गुरप्रीत सिंह (शिकायतकर्ता) नामक पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं और रिपोर्ट इस प्रकार हैः-

(i) पक्षों के बयान प्रामाणिक हैं और किसी भी तरह से किसी भी दबाव या जबरदस्ती आदि का परिणाम नहीं हैं।

(ii) पक्षों के बीच किया गया समझौता वास्तविक और वैध है।

(iii) इस मामले में दो आरोपी और एक शिकायतकर्ता हैं।वे समझौता कर चुके हैं।

(iv) किसी भी अभियुक्त को घोषित अपराधी नहीं घोषित किया गया है।पार्टियों के बीच स्वेच्छा से और बिना किसी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के समझौता किया

गया है।यह अदालत में उनके बयान दर्ज करने के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से उनकी जांच के बाद भी देखा गया है।"

(4) उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि पक्षों के बीच किया गया समझौता स्वेच्छा से और बिना किसी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के है।

(5) वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विचाराधीन प्राथमिकी खंड 323, 452, 506, 34 भा.दं.सं के तहत दर्ज की गई थी। प्राथमिकी आर. के अनुसार आरोप थे कि शिकायतकर्ता हाउस नं.3421, सेक्टर 38-डी, चंडीगढ़ में वह निजी कारोबार कर रहा था। दिनांक 27.03.2016 को शिकायतकर्ता के घर से सटे घर No.3158 में रहने वाले कुछ लड़के सड़क पर उपद्रव कर रहे थे और जब शिकायतकर्ता ने उन्हें रोका, तो झगड़ा हो गया। जाँच के बाद, याचिकाकर्ताओं को अभियुक्त बनाया गया था।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 14.12.2017 के फैसले के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं को सजा सुनाई गई।याचिकाकर्ता अनुज को निम्नानुसार सजा सुनाई गई थीः-

धारा (ओं) के तहत	वाक्य	ठीक है।	जुर्माने का भुगतान न करने पर
452 भा.दं.सं.	डेढ़ साल का कठोर कारावास	Rs.500 -	एक महीने का साधारण कारावास
323 भा.दं.सं.	छह महीने	Rs.500 -	एक महीने का साधारण कारावास
506 भा.दं.सं.	छह महीने	Rs.500 -	एक महीने का साधारण कारावास

हालाँकि, अभियुक्त अखिल को निम्नानुसार सजा सुनाई जाती हैः-

धारा (ओं) के तहत	वाक्य	ठीक है।	जुर्माने का भुगतान न करने पर
452 आर/डब्ल्यू 34 भा.दं.सं. सी.	एक साल का कठोर कारावास	Rs.500 -	एक महीने का साधारण कारावास
323 आर/डब्ल्यू 34 भा.दं.सं. सी.	तीन महीने का कठोर कारावास	--	--
506 आर/डब्ल्यू 34 भा.दं.सं. सी.	तीन महीने का कठोर कारावास	--	--

24. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

जाँच और मुक़दमे के दौरान हिरासत की अवधि निर्धारित की जाए।दोषियों द्वारा दिया गया जुर्माना।रसीदें जारी की गईं।फैसले की सत्यापित प्रतियां दोषियों को तुरंत मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएं।फाइल को उचित अनुपालन के बाद अभिलेखों में भेजा जाना चाहिए।"

(6) इसके बाद 07.05.2018 याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच को समझौता हो गया था और उक्त समझौता के आधार पर वर्तमान याचिका दायर की गई है और जैसा कि यहाँ ऊपर कहा गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़, की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त समझौता वास्तविक, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के हुआ है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा है कि समझौता वास्तविक और प्रामाणिक है और दिनांकित 28.01.2016 का फैसला जो सी**.** आर**.** एम**.-**एम**.-17272-2015** शीर्षक राम प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पारित किया हुआ पेश किया और कहा कि समान परिस्थितियों में, याचिका खंड 482 Cr.P.C के तहत कि सुनवाई हुई और बाद की सभी कार्यवाही के साथ प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था और यहां तक कि सजा के फैसले को भी समझौते के आधार पर रद्द कर दिया गया था।

(8) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय दिनांक 29.09.2021, दाण्डिक अपीलीय सं.1489-2012 का शीर्षक रामगोपाल और

बनाम मध्य प्रदेश राज्य और संबंधित मामले पर भी भरोसा किया है और प्रार्थना की है कि वर्तमान याचिका को भी स्वीकार किया जाये।

(9) यू. टी. के विद्वान वकील ने रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका का विरोध किया है और कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।

(10) प्रतिवादी सं.3 के विद्वान वकील ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मामले से समझौता किया गया है और कहा है कि यह सभी व्यक्तियों के सर्वोत्तम हित में है और याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादी संख्या 3 और उनके परिवार के बीच शांति और सौहार्द लाने में मदद करेगा उन्होंने प्रार्थना की कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाये।

(11) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामगोपाल और एक और (ऊपर) के मामले में उच्च न्यायालय की खंड 482 Cr.P.C के साथ-साथ अन्य मुद्दों के तहत शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की है।उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> 2. पुलिस थाना अंबाह, मुरैना, एम. पी. की प्राथमिकी दिनांक 3 नवंबर 2000 की से उत्पन्न अभियोजन पक्ष का संस्करण यह है कि कुछ वित्तीय विवाद के कारण, अपीलकर्ताओं ने पदम सिंह (शिकायतकर्ता) के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला किया।अपीलकर्ताकर्ता संख्या 1 पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को एक फार्सा से मारा, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली काट दी गई।अपीलकर्ताकर्ता संख्या 2 ने शिकायतकर्ता के शरीर पर लाठी भी चलाई।इसके बाद अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद, 'आई. पी. सी.') की खंड 34 के साथ पठित खंड 354, 323 और 326 और अत्याचार निवारण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1989 की खंड 3 के तहत मुकदमा चलाया गया।साक्ष्य का विश्लेषण करने पर, विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट (एफ. सी.), अंबाह ने अपीलार्थियों को भा.दं.सं. सी. की धारा 304, 323 और 326 के साथ 34 भा.दं.सं. सी. के तहत अधिकतम तीन साल की सजा के साथ दोषी ठहराया।
>
> xxx xxx xxx

12. इसलिए, उच्च न्यायालय अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और पीड़ित ने आपराधिक

कार्यवाही को रद्द करने के लिए स्वेच्छा से सहमति दी है, खंड 482 Cr.P.C के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है, भले ही अपराध गैर-शमनीय हों।उच्च न्यायालय निर्विवाद रूप से किसी व्यक्ति से परे अपराध के परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध, भले ही दंडित न किया जाए, आपराधिक न्यायाधीश प्रणाली के प्रशासन के उद्देश्य के साथ छेड़छाड़ या लकवाग्रस्त न हो।

13. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गैर-जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध पहले से ही निजी प्रकृति के हैं, उन्हें इस तथ्य की परवाह किए बिना रद्द किया जा सकता है कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है।सजा देना न्याय देने का एकमात्र तरीका नहीं है।कानूनों को समान रूप से लागू करने की सामाजिक विधि हमेशा वैध अपवादों के अधीन होती है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन मामलों में दोषसिद्धि के बाद समझौता किया जाता है, उच्च न्यायालय को घटना के आसपास की परिस्थितियों, जिस तरीके से समझौता किया गया है, और घटना से पहले और बाद में अभियुक्त के आचरण के अलावा अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।खंड 482 Cr.P.C के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करने के लिए कसौटी न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करना होगा।पर्याप्त न्याय करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने वाला कोई कठोर और निश्चित नियम नहीं है। खंड 482 Cr.P.C के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रतिबंधात्मक निर्माण न्याय को कठोर या विशिष्ट बना सकता है, जो किसी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है।दूसरी ओर, जिन मामलों में अपराधियों के खिलाफ जघन्य अपराध साबित हुए हैं, उन्हें ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने नरेंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य और लक्ष्मी नारायण (सुप्रा) के मामले में सावधानीपूर्वक कहा है।

XXX XXX XXX

19. इस प्रकार हम संक्षेप में यह मानते हैं कि खंड 320 के विपरीत जहां न्यायालय वैधानिक ढांचे के भीतर 'शमनीय' अपराधों के संबंध में पक्षों के बीच समझौते द्वारा पूरी तरह से निर्देशित है, खंड 482 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई असाधारण शक्ति या

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित, खंड 320 की सीमा से परे लागू की जा सकती है। फिर भी, हम दोहराते हैं कि व्यापक आयाम की ऐसी शक्तियों का उपयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि:((i) समाज की चेतना पर अपराध की प्रकृति और प्रभाव; (ii) चोट की गंभीरता, यदि कोई हो; (iii) अभियुक्त और पीड़ित के बीच स्वेच्छा से समझौता करने की प्रकृति; और

(iv) कथित अपराध और/या अन्य प्रासंगिक विचारों की घटना से पहले और बाद में अभियुक्त व्यक्तियों का आचरण।"

(13) उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि यह निर्धारित किया गया है कि खंड 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय को असाधारण शक्ति खंड 320 Cr.P.C की सीमा से परे लागू किया जा सकता है। यह देखा गया है कि गैर-जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को इस तथ्य के बावजूद रद्द किया जा सकता है कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज हो गई है और यह कि सजा देना न्याय देने का एकमात्र रूप नहीं है।इस प्रकार, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन मामलों में दोषसिद्धि के बाद समझौता किया जाता है, उच्च न्यायालय को घटना के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

(14) राम प्रकाश के मामले (ऊपर) में इस अदालत की समन्वय पीठ ने इसी तरह की परिस्थितियों में खंड 482 Cr.P.C के तहत याचिका को मंजूरी दी है।उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"यह याचिका Cr.P.C की खंड 482 के तहत दायर की गई है जिसमे प्राथमिकी सी.225 दिनांक 24.08.2005, खंड 323, 324, 452, 148, 149 भा.दं.सं. सी. (बाद में आई. पी. सी. की खंड 308 और 336 जोड़ी गई), पुलिस स्टेशन सदर नवांशहर, जिला-नवांशहर और साथ ही वहां से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही तथा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश शहीद भगत सिंह नगर, द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश दोनों दिनांक 25.09.2013, को समझौते दिनांक 06.02.2015 (अनुलग्नक पी-4) के आधार पर रद्द करने के लिए भी प्राथना की है।

XXX-XXX---XXX

समझौता दिनांक 06.02.2015 (अनुलग्नक पी-4) जो इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान दोनों पक्षों में हुआ था, के आधार पर उपरोक्त फआईआर और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं सजा का आदेश दोनों दिनांक 25.09.2013 को खारिज करने का अनुरोध किया।

XXX---XXX---XXX

सुबे सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य 2013 (4) आर. सी. आर. (आपराधिक) 102 के मामले में इस अदालत ने अपीलीय स्तर पर अपराधों के चक्रवृद्धि पर विचार किया है और यह मत व्यक्त किया है कि जब दोषसिद्धि के खिलाफ अपील सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है और पक्षों ने समझौता किया है, तब भी उच्च न्यायालय दं.प्र.सं. 482 के तहत किसी भी स्तर पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अद्वितीय शक्ति निहित है ताकि न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जा सके और निम्नानुसार अवलोकन किया हैः-

“15. हालाँकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 320 के तहत शक्ति का उपयोग करने से इनकार, उच्च न्यायाधीशालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का सहारा लेने और न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए एक उचित आदेश पारित करने से नहीं रोकता है।

16. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए संदेह के संबंध में कि क्या पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए खंड 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्निहित शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, भले ही आरोपी को दोषी ठहराया गया हो और निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो, हम पाते हैं कि डॉ. अरविंद बरसौल आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक और 2008 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 910:(2008) 5 एस. सी. सी. 794, दुर्भाग्यपूर्ण वैवाहिक विवाद का निपटारा तब किया गया जब अपीलकर्ता (पति) को भारतीय दंड संहिता की खंड 498 ए के तहत दोषी ठहराया गया और 18 महीने की सजा सुनाई गई और उनकी अपील पहली अपील न्यायालय के समक्ष लंबित थी।शीर्ष अदालत ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याया के हित में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और कहा कि "आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा" और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का भी उपयोग करना होगा।चूँकि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी

गई शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उद्धृत निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उसने उच्च न्यायालय को इस तरह की अद्वितीय शक्ति प्रदान की है।

17. कानून के दुरुपयोग को रोकने या न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की दृष्टि से खंड 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायाधीशालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली निहित अधिकार क्षेत्रिता का परिमाण, हालांकि, खंड 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंध के बावजूद न केवल गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में कार्यवाही को रद्द करने की अपनी शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे विचार में ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, सिवाय इसके कि कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है और इस तरह की शक्ति का आह्वान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से उचित है।

18. XXX XXX

19. XXX XXX

20. XXX XXX

21. इन विशेष तथ्यों और परिस्थितियों की रौशनी में जहां न केवल पक्षकार बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार (प्रतिवादी संख्या 2 की बेटी और दामाद सहित) ने इस सौहार्दपूर्ण समझौते का भी समर्थन किया है, हमारा मानना है कि समझौते को अस्वीकार करने से रिश्ते में असंगति आएगी और परिवार के सदस्यों के बीच स्थायी दरार पैदा होगी जो एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं।समझौते को स्वीकार न करने से पूर्ण न्याय से भी इनकार हो जाएगा जो हमारी न्याया वितरण प्रणाली का सार है।चूंकि निचली अदालत द्वारा किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद और इस तरह की सजा के खिलाफ अपील विचाराधीनता रहने के दौरान खंड 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का उपयोग करने के खिलाफ कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है, इसलिए यह निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने और अखिल बलदा और अन्य बनाम यू. टी. चंडीगढ़ राज्य के अधीन कार्यवाही को रद्द करने के लिए सुरक्षित संरक्षण के अधीन एक उपयुक्त मामला प्रतीत होता है।

22. नतीजतन उपरोक्त बताए गए कारणों की वजह से हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार द्वारा आपराधिक मामले संख्या 425-1-2000 में पारित फैसले और आदेश, को समझौते के आधार पर जो उनके और उनकी

सौतेली मां प्रतिवादी संख्या 2 (श्रीमती रेशमा देवी) पत्नी स्वर्गीय राजमल, को केवल याचिकाकर्ताओं के लिए खारिज किया जाता है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आपराधिक शिकायत उपरोक्त समझौते के आधार पर केवल याचिकाकर्ताओं के लिए खारिज की जाती है । परिणामस्वरूप, उपर्युक्त आदेश दिनांक 16.03.2009 के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई अपील निष्फल हो जाती हैं और प्रथम अपीलीय न्यायालय, हिसार द्वारा की घोषित जाएगी।"

इसी तरह, बघेल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 (3) आर. सी. आर. (आपराधिक) 578 के मामले में, जिसके तहत अभियुक्त को भा.दं.सं. की खंड 326 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे दो साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, अपील विचाराधीनता रहने के दौरान पक्षों ने समझौता किया। इस न्यायालय लाल चंद बनाम हरियाणा राज्य**, 2009 (5)** आर**.** सी**.** आर**. (**आपराधिक**) 838** और छोटा सिंह बनाम पंजाब राज्य **1997 (2)** आर**.** सी**.** आर**. (**आपराधिक**) 392** ने इन निर्णय पर भरोसा करते हुए समझौतायोग्य अपराध भा.दं.सं. की खंड 326 को अपीलीय चरण पर इस आदेश पर स्वीकार करती है कि यह पक्षों के बीच शांति बनाए रखने में एक प्रारंभिक बिंदु होगा, इस तरह के अपराध समझौतायोग्य होगा

XXX-XXX-- XXX

तदनुसार, प्राथमिकी संख्या 225 दिनांक 24.08.2005, (अनुलग्नक पी-1) खंड 323, 324, 452, 506, 148, 149 भा.दं.सं. (बाद में आई. पी. सी. की खंड 308 और 336 जोड़ी गई), पुलिस स्टेशन सदर नवांशहर, जिला-नवांशहर और साथ ही वहां से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही को समझौते दिनांक 06.02.2015 (अनुलग्नक पी-4) के आधार पर याचिकाकर्ताओं के लिए Rs.25,000/- की राशि पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ में भुगतान के अधीन खारिज किया जाता हैं।

परिणामस्वरूप, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर द्वारा पारित निर्णय एवं सजा का आदेश दोनों दिनांक 25.09.2013 को लागत के भुगतान के अधीन खारिज किया जाता हैं।

(15) इस न्यायालय ने सी. आर. आर. सं. 390 -2017 शीर्षक "कुलदिप सिंह बनाम विजय कुमार और दूसरा" में पारित एक निर्णय में निम्नानुसार कहा है**:-**

"कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपकिशोर खोरे, 2011 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 298 और दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल, ए. आई. आर. 2010 (एस. सी.) 1097 पर भरोसा रखा जा सकता है। खंड 401 Cr.P.C के संदर्भ में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र उसी समय प्रभाव में आएगा जब समझौता वास्तविक और किसी भी अनुचित प्रभाव से मुक्त है।

विचाराधीन समझौता पक्षों के पक्ष में एक स्थायी उपकरण के रूप में काम करेगा जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा दखल दिया जा सकता है।पुनरीक्षण परक्राम्य लिखत अधिनियम 147 की भावना के अनुरूप भी होगी।

दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबालाल**, AIR 2010 (SC) 1097** में निर्धारित सिद्धांत तभी सुरक्षित होगा यदि विचाराधीन समझौते को पक्षों के बीच की होने अनुमति न्यायालय द्वारा दी जाती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री मुक्तसर साहिब द्वारा पारित विवादित निर्णय दिनांक 19.01.2017, जिसमें याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था, रद्द कर दिया जाता है।

दामोदर एस. प्रभु के मामले (ऊपर) में निर्धारित अनुपात के अनुसार चेक राशि का 15% राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को जमा करने के अधीन पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है, जिसमें विफल रहने पर इस आदेश का कोई परिणाम नहीं होगा।आवश्यक परिणाम का अनुसरण करे।"

(16) उपरोक्त निर्णय में दामोदर एस. प्रभु के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा रखा गया था और इस प्रकार, तय किए गए कानून के अनुसार, इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि के फैसले को एक वैध समझौते के आधार पर रद्द करने की शक्ति है।वर्तमान मामले में समझौता वास्तविक और वैध है।

(17) उपरोक्त निर्णय में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, और रामगोपाल और एक के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, उक्त निर्णय द्वारा निर्धारित विचार के लिए प्रासंगिक मापदंडों पर इस न्यायालय द्वारा

विचार किया गया। सबसे पहले, वर्तमान याचिका में शामिल घटना को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत/निजी प्रकृति के आपराधिक कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।दूसरा, जो चोटें लगी हैं वे सरल प्रकृति की हैं और मानसिक भ्रष्टता या इस तरह के गंभीर प्रकृति के अपराध के तत्व को प्रदर्शित नहीं करती हैं, कि इस तरह के मामलों की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना सार्वजनिक हित पर हावी होगा।तीसरा, चोटों और अपराध को देखते हुए, यह कोई मायने नहीं रखता कि याचिकाकर्ताओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दोषी ठहराया गया है।चौथा, समझौता बिना किसी जबरदस्ती या मजबूरी के किया गया है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार स्वेच्छा से किया गया है। पाँचवाँ, यह घटना वर्ष 2016 में हुई थी और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके बाद कोई अप्रिय घटना हुई है।छठा, याचिकाकर्ता हालांकि, क्रमशः हरियाणा और सहारनपुर के स्थायी निवासी हैं, लेकिन वे वर्तमान में चंडीगढ़ में रह रहे हैं, और प्रतिवादी नं.3 चंडीगढ़ में भी रह रहा है और इस प्रकार, वर्तमान कार्यवाही को रद्द करने से पक्षों के बीच शांति और सद्भाव आएगा।सातवाँ, आपराधिक न्यायाधीश प्रणाली के प्रशासन का उद्देश्य पक्षों के बीच उक्त सौहार्दपूर्ण समझौते की स्वीकृति और/या याचिकाकर्ताओं के परिणामी दोषमुक्ति पर अप्रभावित रहेगा।

(18) इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका स्वीकार की जाती की जाती है और यू. टी. चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन सेक्टर 39 में भा.दं.सं. की धारा 323, 452, 506, 34 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी 76 दिनाक 28.03.2016 के साथ-साथ उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा पारित फैसला दिनाक 14.12.2017(अनुलग्नक पी-2) और सजा के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

अरुणा गुप्ता